24.3.25.

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित।

प्रकरण लम्बे समय से तामिल हेतु नियत है तथा वादी अधिवक्ता दिनांक 4.12.24 एवं 29.1.25 को भी उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय द्वारा रूक-रूककर कई बार आवाज लगवाई गई बावजूद इसके कोई न्यायालय समय समाप्ति तक कोई उपस्थित नहीं हुआ। जिससे जाहिर है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं होकर वाद चलाना नहीं चाहते है।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम हाजरी-अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय लेख इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सोनिका कुमारी)
IAS